



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 05 फरवरी, 2025 / 16 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated the 9th January, 2025

No. HHC/Estt. 3(760)/2010.—12 days earned leave on and with effect from 13-01-2025 to 24-01-2025 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 11th & 12th January,

238—राजपत्र / 2025—05—02—2025

(12905)

2025 and suffix Gazetted holiday and Sunday falling on 25th & 26th January, 2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Khem Raj Thakur, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Khem Raj Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Khem Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January, 2025

No. HHC/GAZ/14-88/78-I.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of following members of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges with effect from the date shown against their names:—

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Date of Confirmation
1.	Sh. Avinash Chander, Additional District and Sessions Judge, Sundernagar.	30-11-2023
2.	Sh. Rajesh Chauhan, Additional District and Sessions Judge-1, Kangra at Dharamshala.	03-12-2023
3.	Dr. Abira Basu, Additional District and Sessions Judge, Sarkaghat.	14-05-2024
4.	Sh. Sachin Raghu, Additional District and Sessions Judge, Hamirpur.	14-05-2024
5.	Sh. Rajinder Kumar, Additional District and Sessions Judge, Nurpur.	14-05-2024
6.	Sh. Gaurav Mahajan, Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan.	14-05-2024
7.	Ms. KantaVerma, Additional District and Sessions Judge-I, Una.	14-05-2024
8.	Sh. Abhay Mandiyal, Additional District and Sessions Judge, Nalagarh.	14-05-2024

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January, 2025

No. HHC/GAZ/14-99/80-III.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Sh. Varun, Civil Judge-*cum*-JMFC-I, Dharamshala, member of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges *w.e.f.* 23-12-2024.

By order,

Sd/
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated the 18th January, 2025

No. HHC/Estt.3(472)/96.—13 days earned leave on and with effect from 20-01-2025 to 01-02-2025, with permission to affix Sundays falling on 19-01-2025 and 02-02-2025, respectively, is hereby sanctioned in favour of Shri Avnish Kant Tiwari, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2025

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of

the Courts of District & Sessions Judge. Shimla; District & Sessions Judge (Forests). Shimla; Principal Judge. Family Court, Shimla; Additional District & Sessions Judges-I & II. Shimla; Additional District & Sessions Judge, CBI Court, Shimla and Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (Rape & POCSO), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts *w.e.f.* 27-01-2025 to 01-02-2025.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2025

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District & Sessions Judge, Rohru and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court *w.e.f.* 25-01-2025 to 01-02-2025.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2025

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMFC, Palampur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM. Palampur and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court till the posting of new Presiding Officer in that Court.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th January, 2025

No. HHC/Admn. 6 (24)/74-XI.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 10(2) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, has been pleased to declare the Civil Judge-*cum*-JMFC, Chamba as Additional Chief Judicial Magistrate, Chamba authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of District & Sessions Judge, Chamba, Additional District & Sessions Judge, Chamba and Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Chamba *w.e.f.* 25-01-2025 to 02-02-2025.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th January, 2025

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMFC, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District & Sessions Judge/ Additional District & Sessions Judge, Chamba and Sr. Civil Judge-*cum*-CJM. Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts *w.e.f.* 25-01-2025 to 02-02-2025 and *w.e.f.* 20-01-2025 to 02-02-2025, respectively.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th January, 2025

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare Additional District & Sessions Judge, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District & Sessions Judge. Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. In respect of establishment attached to the aforesaid Court *w.e.f.* 20-01-2025 to 24-01-2025.

By order,

Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 04 फरवरी, 2025

सं०: विस०-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.—इस सचिवालय की समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2025 की निरंतरता में वर्ष 2024-2025 के लिए गठित सदन की समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए स्थानीय निधि लेखा समिति में श्री रणवीर सिंह (निक्का), माननीय सदस्य के स्थान पर श्री मलेन्द्र राजन, सदस्य नामांकित किये गये।

सचिव,

हि०प्र० विधान सभा।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Pawan Kumar s/o Sh. Ramesh Kumar, resident of Village Bhanota, P.O. Chaned, Tehsil & Distt. Chamba, H.P.

and

Madhu Bala d/o Sh. Mast Ram, resident of Village Palahi, P.O. Basoli, Tehsil & Distt. Kathua, J. & K.

Versus

The General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 27-07-2017 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Bhanota, Development Block Chamba, well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in the court on or before 10-02-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 10th day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(PRIYANSHU KHATI, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

**Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, Chamba,
Hamirpur and Kangra at Dharamshala, H.P.**

In the matter of :

Consumer Complaint No. 92/2022

Tek Chand s/o Sh. Hoshiara, r/o Village Dadru, Post Office Paliur, Tehsil and District Chamba H.P. . . *Complainant.*

Versus

1. SM Krishi Housing and Agriculture Ltd. registered Head Office Patel Chowk Pathankot through its Managing Director, Subhash Chander s/o Sh. Dhian Singh, r/o House No. 177 ASBV, Village Ranipur, Tehsil and District Pathankot, P.B.

2. Smt. Jyoti w/o Sh. Subhash Chander, r/o House No. 177 ASBV, Village Ranipur, Tehsil and District Pathankot, P.B. Director, SM Krishi Housing and Agriculture Ltd.

3. Sh. Chander Mohan s/o Sh. Girdhari Lal, r/o 20 Block No. 100, Village and Tehsil Jawali, P.O. Jawali, District Kangra, H.P. Director, SM Krishi Housing and Agriculture Ltd. registered Head Office Patel Chowk Pathankot. . . *Opposite Parties.*

Whereas, in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Commission that the above noted opposite parties, are avoiding the service of notice issued by this Commission and can not be served in ordinary way of service.

Hence, this proclamation/notice is hereby issued to you to appear before this Commission on 4th day of March, 2025 at 10.00 A.M. at Chamba, District Chamba H.P. in person or either

through your agent to defend your case, failing which, the case will be heard in your absence and decided according to law.

Given under my hand and seal of this Commission on 13th day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(HEMANSHU MISHRA),
President,
District Consumer Disputes Redressal Commission,
Chamba, Hamirpur and Kangra at Dharamshala, H.P.

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
22/24/TEH

तारीख दायरा
22-01-2025

तारीख पेशी
07-02-2025

प्रार्थी सूरज प्रकाश पुत्र वृजू उपनाम वृज लाल पुत्र रसीला, निवासी महाल व मौजा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल व मौजा मटौर, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सूरज कुमार पुत्र वृजू उपनाम वृज लाल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सूरज प्रकाश पुत्र वृजू उपनाम वृज लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सूरज कुमार की बजाए सूरज प्रकाश पुत्र वृजू उपनाम वृज लाल जमाबन्दी महाल मटौर में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 03/2025	तारीख दायरा 22-01-2025	तारीख पेशी 07-02-2025
---------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी रोहित कुमार पुत्र राम कृष्ण, निवासी गांव व डा0 मटौर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी रोहित कुमार पुत्र राम कृष्ण, निवासी गांव व डा0 मटौर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसके पिता राम कृष्ण पुत्र गोरखू राम की मृत्यु दिनांक 25-12-2007 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत मटौर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री तरसेम लाल, निवासी वार्ड नं0 3, गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुमन कुमारी दर्ज है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया आधार कार्ड में अपना सही नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ पत्र व रिकार्ड कागजात को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती सत्या देवी पत्नी तरसेम लाल दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 07-02-2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोली व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : /BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री बिशम्बर सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी महाल चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री बिशम्बर सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी महाल चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी मौसी गुलाबी देवी पत्नी गुलाबा राम का देहांत दिनांक 23-11-1985 को महाल चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कुडंग में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-02-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 17-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 02/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री उत्तम चंद पुत्र वचित्र सिंह, वासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री उत्तम चंद पुत्र वचित्र सिंह, वासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे बेटे अमित कुमार धीमान का जन्म दिनांक 09-06-1981 को महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 17-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 01/C/2025

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सागर राम, निवासी गांव ठेहर बुहली, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सागर राम, निवासी गांव ठेहर बुहली, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम विद्यालय त्याग पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में सही नाम सागर राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ठेहर बुहली में इंतकाल तस्दीक करते समय उनका नाम जोहंडा दर्ज है, जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल ठेहर बुहली में श्री सागर राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-02-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : /24

हिमांशु थापा पुत्र दीपक थापा, निवासी महाल राम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. कैलसंग सरीन पुत्र धीरज सरीन, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला, 2. हिम्मत सिंह पुत्र महिंदर बीर सिंह, 3. समंगला देवी पत्नी प्रीतम चंद, निवासी महाल उपरला ओड्डुर, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.— प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 7, खसरा नं0 402, 412, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—23—92 है0 वाक्या महाल उपरला ओड्डुर, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 जमाबन्दी साल 2022—23.

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी हिमांशु थापा पुत्र दीपक थापा, निवासी महाल राम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी/ईशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23—02—2025 को प्रात 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 02—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : 120/24

आकांक्षा सूद पत्नी नीरज कान्त पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी चीलगाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र देश राज, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. सुरिन्दर कुमार पुत्र कीकर सिंह, 2. रवि पुत्र सरोता उपनाम सतपाल, 3. शिवानी पुत्री व 4. श्रीमती श्रेष्ठा देवी पुत्री रोशन लाल पुत्र लच्छमन, निवासी महाल दयाड़ा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.— प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 56, खतौनी नं0 158, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 01-17-13 है0 वाक्या महाल दयाड़ा मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 जमाबन्दी साल 2017-18.

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया आकांक्षा सूद पत्नी नीरज कान्त पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी चीलगाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र देश राज, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस ईशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-02-2025 को प्रात 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 02-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : 119/24

आकांक्षा सूद पत्नी नीरज कान्त पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी चीलगाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र देश राज, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. सुरिन्दर कुमार पुत्र कीकर सिंह, निवासी महाल दयाड़ा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.— प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 56, खतौनी नं0 157, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-04-11 है0 वाक्या महाल दयाड़ा मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 जमाबन्दी साल 2017-18.

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया आकांक्षा सूद पत्नी नीरज कान्त पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी चीलगाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र देश राज, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्री मुनादी/ईशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-02-2025 को प्रात 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 02-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 18-02-2025

केहर सिंह पुत्र जनक सिंह, निवासी अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में केहर सिंह पुत्र जनक सिंह, निवासी अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम जनक सिंह है परन्तु केहर सिंह पुत्र जनक सिंह, निवासी अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जनक राज अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी केहर सिंह पुत्र जनक सिंह, निवासी अन्द्राण, डा0 मरेरा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम जनक राज उपनाम जनक सिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 18-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 06-02-2025

नरेश कुमार चौधरी पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव धार ब्राह्मपुरी, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल धार ब्राह्मपुरी, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल धार ब्राह्मपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में नरेश कुमार चौधरी पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव धार ब्राह्मपुरी, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम नरेश कुमार चौधरी है परन्तु महाल धार ब्राह्मपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नरेश कुमार लिखा है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल धार ब्राह्मपुरी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम नरेश कुमार उपनाम नरेश कुमार चौधरी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 06-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 06-02-2025

अंजली पुत्री स्व0 श्री बलबंत सिंह, निवासी गांव व डा0 जगरूप नगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल आलमपुर, साई, बीड, पपरोला, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल आलमपुर, साई, बीड, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंजली पुत्री स्व0 श्री बलबंत सिंह, निवासी गांव व डा0 जगरूप नगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपनी माता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी माता का सही नाम मधु बाला है परन्तु महाल आलमपुर, साई, बीड, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया की माता का नाम सुमन लता

अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल आलमपुर, साई, बीड, पपरोला के राजस्व रिकार्ड में अपनी माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की माता का नाम सुमन लता उपनाम मधु वाला दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 06-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार उप-तहसील आलमपुर एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती परमिला देवी पुत्री पैणू पुत्र धुन्धी, निवासी गांव उमरी, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता महाल उमरी, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादी।

विषय.— भूमि राजस्व रिकार्ड भूमि स्थित महाल उमरी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0
प्र0 में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया श्रीमती परमिला देवी पुत्री पैणू पुत्र धुन्धी, निवासी गांव उमरी, डा0
मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही
नाम परमिला देवी है परन्तु महाल उमरी में प्रार्थिया का नाम परागो देवी अंकित है, जोकि गलत दर्ज है।
प्रार्थिया महाल उमरी में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता महाल उमरी को सूचित किया जाता है कि यदि किसी
व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम परागो देवी उपनाम परमिला देवी दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह
इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज दिनांक 06-02-2025 तक
किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई
जाएगी।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 09/24/TEH	तारीख दायरा 06-01-2025	तारीख पेशी 06-02-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी सरदीप कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल व मौजा तयारा खास, पटवार वृत्त तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम अमरो पुत्र कौला दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम अमर सिंह पुत्र कौला पुत्र महलू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अमरो की बजाए अमर सिंह पुत्र कौला पुत्र महलू जमाबन्दी महाल तियारा खास में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 06-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 10/25/TEH	तारीख दायरा 22-01-2025	तारीख पेशी 17-02-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थिया सरसुती देवी विधवा सुख राम, निवासी महाल ढिनू, मौजा दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल ढिनू, पटवार वृत्त दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व

रिकार्ड में उसका नाम सरस्वती देवी व उसके पति का नाम सुखराम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का नाम सुखराम सिंह है जोकि सही है व प्रार्थिया का नाम सरसुती देवी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सरस्वती की बजाए सरसुती व सुखराम की बजाए सुखराम सिंह जमाबन्दी महाल ढिनु में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
13/25/TEH	22-01-2025	17-02-2025

प्रार्थी आशिम अग्रवाल पुत्र मेला राम, निवासी हाउस नं0 1631, शर्मा गली, वार्ड नं0 05, गांव व डा0 कांगड़ा पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उप-महाल भवन, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशवनी कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अशिम अग्रवाल पुत्र मेला राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अशवनी कुमार की बजाए अशिम अग्रवाल पुत्र मेला राम जमाबन्दी महाल उप-महाल भवन में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
59/24/TEH	22-01-2025	17-02-2025

प्रार्थिया श्रीमती चंचल चौधरी पत्नी जोगिन्द्र लाल पुत्र खड़कू, निवासी महाल पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर व महाल घुरकड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम जोगिन्द्र चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का नाम जोगिन्द्र लाल पुत्र खड़कू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम जोगिन्द्र चन्द की बजाए जोगिन्द्र लाल पुत्र खड़कू जमाबन्दी महाल उप-महाल पुराना कांगड़ा व महाल घुरकड़ी में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
58/24/TEH	22-01-2025	17-02-2025

प्रार्थी जोगिन्द्र लाल पुत्र खड़कू, निवासी महाल पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जोगिन्दर चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जोगिन्दर लाल पुत्र खड़कू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम जोगिन्दर चन्द की बजाए जोगिन्दर लाल पुत्र खड़कू जमाबन्दी महाल उप-महाल पुराना कांगड़ा में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
14 / 25 / TEH	22-01-2025	17-02-2025

प्रार्थी कुलभूषण कुमार पुत्र वरदमान पुत्र किरपा राम, निवासी वार्ड नं0 1 पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कुलभूषण दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम कुलभूषण कुमार पुत्र वरदमान पुत्र किरपा राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम कुलभूषण की बजाए कुलभूषण कुमार पुत्र वरदमान पुत्र किरपा राम जमाबन्दी महाल उप-महाल पुराना कांगड़ा में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
08/25/TEH	22-01-2025	17-02-2025

प्रार्थी गुरु लाल पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल तियारा, डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा
आग्रह किया गया है कि महाल तियारा खास व तियारा ढुगियारी, पटवार वृत्त तियारा, तहसील व जिला
कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गुरु लाल व उसके पिता का नाम दुनिया दर्ज है जोकि
गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम गुरु लाल पुत्र दुनी चन्द व प्रार्थी के पिता का नाम दुनी
चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरु लाल कि बजाए गुरु लाल पुत्र दुनी
चन्द व दुनिया की बजाए दुनी चन्द जमाबन्दी महाल तियारा खास व तियारा ढुगियारी में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को
कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर
सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 06-02-2025

अंशु चौधरी पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी महाल हार बालकरूपी, डा0 बालकरूपी, मौजा एवं
उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल हार बालकरूपी, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुन्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल हार बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी अंशु चौधरी पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी महाल हार बालकरूपी, डा0 बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम अंशु चौधरी है परन्तु महाल हार बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अंशुल कुमार लिखा है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल हार बालकरूपी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुन्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम अंशुल कुमार उपनाम अंशु चौधरी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 06-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 18-02-2025

दलीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव बरडाम खुरद, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुन्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दलीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव बरडाम खुरद, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम दलीप सिंह है, परन्तु बरडाम खुरद एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम परमा अंकित है, जोकि गलत दर्ज है।

प्रार्थी मोहाल बरडाम खुरद, मौजा बरडाम के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम परमा उपनाम दलीप सिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 18-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बाबू राम पुत्र श्री संत राम, निवासी महाल लियुडा, डा0 सकोह, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल लियुडा, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल लियुडा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में बाबू राम पुत्र श्री संत राम, निवासी महाल लियुडा, डा0 सकोह, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम सन्त राम है, परन्तु महाल लियुडा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम साता लिखा है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल लियुडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम सन्त राम उपनाम साता दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 18-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 06-02-2025

अनु कुमारी पुत्री श्री जीवन सिंह, निवासी गांव वीड, डा0 जांगल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव वीड, डा0 जांगल, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव वीड, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया श्रीमती अनु कुमारी पुत्री श्री जीवन सिंह, निवासी गांव वीड, डा0 जांगल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 26-04-1978 को गांव वीड, डा0 जांगल, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जांगल में दर्ज नहीं करवा सकी हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनु कुमारी पुत्री श्री जीवन सिंह के जन्म दिनांक 26-04-1978 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 10-07-2024 तक पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुषमा कुमारी पुत्री श्री नरातु राम के जन्म दिनांक 26-04-1978 को ग्राम पंचायत जांगल में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 06-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार उप-तहसील आलमपुर एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उत्तम चन्द पुत्र टेक सिंह, निवासी गांव ओच कलां, डा0 लाहडू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल ओच कलां, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिवादी।

विषय.— भूमि राजस्व रिकार्ड भूमि स्थित महाल ओच कलां, मौजा व उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी उत्तम चन्द पुत्र टेक सिंह, निवासी गांव ओच कलां, डा0 लाहड़ू, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है उनके पिता का सही नाम टेक सिंह है, परन्तु महाल ओच कलां में इनका नाम नरैण अंकित है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल ओच कलां में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता महाल ओच कलां को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम नरैण उपनाम टेक सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज दिनांक 06—02—2025 तक किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार उप—तहसील आलमपुर एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

प्रदीप कटोच पुत्र सनीप चन्द, निवासी गांव व डा0 मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादी।

विषय.— भूमि राजस्व रिकार्ड भूमि स्थित महाल मरेरा, मौजा व उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी प्रदीप कटोच पुत्र सनीप चन्द, निवासी गांव व डा0 मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है उनके पिता का सही नाम सनीप चन्द है, परन्तु महाल मरेरा में प्रार्थी के पिता का नाम सुनीत चन्द अंकित है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल मरेरा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता महाल मरेरा को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम सुनीत चन्द उपनाम सनीप चन्द दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज दिनांक 06—02—2025 तक किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार उप-तहसील आलमपुर एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री विजय सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र सन्त, निवासी गांव छैंटी, डा0 बालकरूपी, उप-तहसील
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल छैंटी, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादी।

विषय.— भूमि राजस्व रिकार्ड भूमि स्थित महाल छैंटी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0 में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री विजय सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र सन्त, निवासी गांव छैंटी, डा0
बालकरूपी, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनका
सही नाम विजय सिंह है, परन्तु महाल छैंटी में प्रार्थी का नाम विजय कुमार अंकित है, जोकि गलत दर्ज है।
प्रार्थी महाल छैंटी में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनात महाल छैंटी को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति
को प्रार्थी के नाम विजय कुमार उपनाम विजय सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस
अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज दिनांक 18-02-2025 तक किसी भी
कार्यदिवस में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/C/T/2025

तारीख पेशी : 06-02-2025

अमीता देवी पत्नी सुरेन्द्र पाल, निवासी गांव कुटाहण, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया अमीता देवी पत्नी सुरेन्द्र पाल, निवासी गांव कुटाहण, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त अम्वाडा के राजस्व महाल कुटाहण, डा0 व तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम कमलेश कुमारी दर्ज हो गया है जबकि विद्यालय त्याग के प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम अमीता देवी दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग—अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अमीता देवी उपनाम कमलेश कुमारी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-02-2025 को असातन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया अमीता देवी पत्नी सुरेन्द्र पाल, निवासी गांव कुटाहण, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त अम्वाडा के राजस्व महाल कुटाहण के अभिलेख में अमीता देवी उपनाम कमलेश कुमारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Kanshi Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Kanshi Ram s/o Shri Hari Chand, r/o Village Mathera, P.O. Khun, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death registration event of his wife Smt. Kumbh Dassi w/o Kanshi Ram died on 10-03-1985 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering death event of the applicant wife died on 10-03-1985 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/her/their objection on or before 20-02-2025 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 20th of January, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Prem Chand

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh.. Prem Chand s/o Shri Puran Chand, r/o Village Chanda dron, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of his daughter Sarika d/o Prem Chand born on 03-10-2020 has not been entered in the record of Gram Panchayat Buchhair.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant daughter Sarika born on 03-10-2020 in the Panchayat record of Gram Panchayat Buchhair, he/she/they may file his/her/their objection on or before 20-02-2025 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 20th of January, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

In the Court of Sh. Uma Dutt, Executive Magistrate, Nirmand, Distt. Kullu, H.P.

Shukri Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—*Delayed Registration of Birth/Death u/s 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rule, 2003.*

Smt. Shukri Devi d/o Sh. Jethu Ram, r/o Village Ralu, Phati Nishani, Distt. Kullu H.P. has moved and application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that

the birth registration of her on dated 01-01-1987 has not been entered in the record of Gram Panchayat Nishani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth entry of the applicant on 01-01-1987 in the Panchayat record of Gram Panchayat Nishani, he/she/they may file their objections on or before 20-02-2025 before this court. In case of non filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Nirmand, District Kullu, H.P.

In the Court of Sh. Uma Dutt, Executive Magistrate, Nirmand, Distt. Kullu, H.P.

Pushpa Devi

. .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.— Registration of delayed Birth and Death events prior to 01-04-1970.

Smt. Puhspa Devi d/o Sh. Kumbhi Ram, r/o Village Doghri, P.O. Jaon, Tehsil Anni, Distt. Kullu H.P. has moved and application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration of her on dated 11-10-1969 has not been entered in the record of Gram Panchayat Chayal.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth entry of the applicant on 11-10-1969 in the Panchayat record of Gram Panchayat Chayal, he/she/they may file their objections on or before 20-02-2025 before this court. In case of non filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Nirmand, District Kullu, H.P.

In the Court of Sh. Uma Dutt, Executive Magistrate, Nirmand, Distt. Kullu, H.P.

Urmila Devi

. .Applicant.

Versus

Subject.— Registration of delayed birth and death events prior to 01-04-1970.

Smt. Urmila Devi d/o Sh. Dola Ram, r/o Village Pipal Hatti Phati, and Tehsil Nirmand, Distt. Kullu H.P. has moved and application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration of her on dated 20-01-1960 has not been entered in the record of Gram Panchayat Shishvi.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth entry of the applicant on 20-01-1960 in the Panchayat record of Gram Panchayat Shishvi, he/she/they may file their objections on or before 20-02-2025 before this court. In case of non filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Nirmand, District Kullu, H.P.*

—————
**In the Court of Sh. Laxman Singh Kanet (HPAS), Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :—

1. Monash Thakur s/o Devi Dutt, r/o Village Suraha, P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Manisha Shavala d/o Prem Prakash, r/o Village Shuling, P.O. Gondla, Tehsil Lahul, District Lahul Spiti, H.P.

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Monash Thakur and Manisha has filed an application on 09-01-2025 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of Registration of Marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 09-03-2020 and they are living as husband and wife since then. Due to ignorance they have not registered their marriage in concerned Panchayat (Registrar of Marriage). Therefore, their marriage may be registered under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-02-2025. The objection received after 10-02-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-01-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Abhishek Thakur, s/o Sh. Umesh Thakur, r/o V.P.O. Jaidevi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P.

2. Himani Sharma, d/o Sh. Hem Raj Sharma, r/o House No. 199/2 Gol Bag, Sundernagar, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Abhishek Thakur and Himani Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu Rites and ceremonies on dated 25-04-2021 and they are living together as husband and wife since then, hence, their tmarrriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-02-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20-01-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**Before Sh. Om Prakash Thakur, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.
02/2025

Date of Institution
21-01-2025

Date of Decision
Pending for 22-02-2025

Smt. Romi daughter of Sh. Guljari Lal, r/o Village Rampur Majri & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Smt. Romi daughter of Sh. Guljari Lal, r/o Village Rampur Majri & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that her birth on 12-05-1985 at Village Rampur Bharapur & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) but her date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Romi daughter of Sh. Guljari Lal & Smt. Batni Devi, may submit their objections in writing in this court on or before 22-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(OM PRAKASH THAKUR),
*Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur H.P.*

**Before Sh. Om Prakash Thakur, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.
03/2025

Date of Institution
21-01-2025

Date of Decision
Pending for 22-02-2025

Moh. Islam Ansari son of Sh. Mausam, r/o Village Rampur Banjaran & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Moh. Islam Ansari son of Sh. Mausam, r/o Village Rampur Banjaran & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Aarshi Praveen birth on 10-10-2008 at Village Rampur Banjaran & P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. but her date of birth could not

registered in the records of Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Aarshi Praveen daughter of Moh. Islam Ansari & Smt. Shahjahan Khatoon, may submit their objections in writing in this court on or before 22-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(OM PRAKASH THAKUR),
*Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur H.P.*

**Before Sh. Om Prakash Thakur, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
04/2025	21-01-2025	Pending for 22-02-2025

Smt. Mamta daughter of Sh. Sikander Ali, r/o Village & P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. . . . *Applicant.*

Versus

General Public . . . *Respondents.*

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Smt. Mamta daughter of Sh. Sikander Ali, r/o Village & P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her birth on 24-05-1984 at Village & P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. but her date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Mamta daughter of Sh. Sikander Ali & Smt. Bala, may submit their objections in writing in this court on or before 22-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(OM PRAKASH THAKUR),
Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur H.P.

**Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
01/2025	08-01-2025	Pending for 10-02-2025

Sh. Asad Kabir Quaan son of Mohd. Kabiruddin Faran Mazahiri, r/o Village & P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. . . . *Applicant.*

Versus

General Public . . . *Respondents.*

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Asad Kabir Quaan son of Mohd. Kabiruddin Faran Mazahiri, r/o Village & P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Saeed Asad Kabir birth on 10-09-2007 at Village & P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. but his date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Saeed Asad Kabir son of Sh. Asad Kabir Quaan & Smt. Bazigha Asad, may submit their objections in writing in this court on or before 10-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of January, 2025.

Seal.

Sd/-
(INDER KUMAR),
Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur H.P.

CHANGE OF NAME

I, Urmila Devi w/o Sh. Mohan Lal, r/o Ward No. 4, VPO Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) declare that I have changed my name from Urmila Devi to Kushla Devi. All concerned note.

URMILA DEVI
w/o Sh. Mohan Lal,
r/o Ward No. 4, VPO Kuthar Beet,
Tehsil Haroli, District Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kelasan Devi w/o Late Sh. Bhagi Rath, r/o Village Pharnohal, PO Beri, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Kalso Devi in my Aadhar Card No. 562087168434. Whereas my correct name is Kelasan Devi as per my husband's army service record. Concerned please may note.

KELASAN DEVI
w/o Late Sh. Bhagi Rath,
r/o Village Pharnohal, PO Beri,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manohar Lal s/o Sh. Mansha Ram, r/o Village Top-Ki-Ber (SHEEL), P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Manohar Kashyap to Manohar Lal. Please note it all concerned.

MANOHAR LAL
s/o Sh. Mansa Ram,
r/o Village Top-Ki-Ber (SHEEL),
P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Susheela Devi w/o Sh. Manohar Lal, r/o Village Top-Ki-Ber (SHEEL), P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Sushila Kashyap to Susheela Devi.

SUSHEELA DEVI
w/o Sh. Manohar Lal,
r/o Village Top-Ki-Ber (SHEEL),
P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Azim s/o Sh. Nadir Ali, r/o House No. 1, Main Market Bilaspur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that my son name in Aadhar Card entered as Mohd. Anas incorrect. His correct name is Zuhan. All concerned note.

AZIM
s/o Sh. Nadir Ali,
r/o House No. 1, Main Market Bilaspur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nain Singh s/o Sh. Jalam Singh, r/o Village Kharsholi, Tehsil Rohnat, District Sirmaur (H.P.) declare that the correct name of my daughter is Aditi Rana as mentioned in her school and panchayat record. However, her name is incorrectly recorded as Aditi in her Aadhar Card which I intend to correct to Aditi Rana.

NAIN SINGH
s/o Sh. Jalam Singh,
r/o Village Kharsholi,
Tehsil Rohnat, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Samreen w/o Mohammad Irfan, r/o Village Dinak, PO Kanaid, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Samreen to Chanda Chaudhary. In future I will be known only as Chanda Chaudhary.

SAMREEN
w/o Mohammad Irfan,
r/o Village Dinak, PO Kanaid,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yogita Devi Spouse of No. 14440983M, RHM (TA) Yashpal Singh, r/o Village & P.O. Kashmir, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Rekha Devi to Yogita Devi. All concerned please note.

YOGITA DEVI
w/o Yashpal Singh,
r/o Village & P.O. Kashmir, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Purnima w/o Sh. Tapender Kumar, r/o Village Jarag, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that in my all record my actual name is Purnima but in Aadhar Card my name is wrongly written as Poonam which is required to be corrected.

PURNIMA
w/o Sh. Tapender Kumar,
r/o Village Jarag, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dhirendar Kumar Joshi (New Name) now lately called Dhirendar Kumar (Former Name) employed as Sub-Inspector/GD No. 860010258 17th Bn. ITBP Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P) do hereby declare that I have changed my name from Dhirendar Kumar to Dhirendar Kumar Joshi in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealings and transactions private as well as public.

DHIRENDAR KUMAR JOSHI
s/o Tika Ram Joshi,
Village & P.O. Barabey,
Tehsil & District Pithoragarh, Uttrakhand.

